मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक सी-6-4-94/3/1 भोपाल, दिनांक 3 अक्टूबर 1994

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म. प्र., ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश।

विषयः—सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के संबंध में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण का अधिकार क्षेत्र।
संदर्भः—भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (का. प्र. वि.) का ज्ञापन संख्या 11012/6/94/स्था.(का), दिनांक 28-3-94।

भारतीय स्टेट बैंक बनाम समरेन्द्र किशोर एण्डो (1994) (1) (एस. एल. आर. 516) के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के संबंध में संदर्भित पत्र में उल्लेख किया गया है कि "उच्चतम न्यायालय या अधिकरण को प्राधिकारी के निर्णय को अपने विवेकाधिकार से प्रतिस्थापित करने का कोई अधिकार नहीं है".

2. इस निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार मत व्यक्त किया है :—

दण्ड के प्रश्न पर प्रतिवादी के विद्वान वकील ने यह कहा कि दिया गया दण्ड कठोर है तथा कम दण्ड से भी न्याय का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। यह भी ध्यातव्य है कि उचित दण्ड का अधिरोपण, अनुशासनिक प्राधिकारी के विवेकाधिकार तथा निर्णय की परिधि में आता है। इसमें अपीलीय प्राधिकारी तो हस्तक्षेप कर सकता है परन्तु उच्च न्यायालय या प्रशासनिक अधिकरण नहीं, क्योंकि अनुच्छेद 226 के अधीन अधिकरण का अधिकार क्षेत्र उच्च न्यायालय की शक्तियों के समान ही हैं। अनुच्छेद 226 के अधीन शक्तियों में से न्यायिक पुनर्विलोकन एक है। यह "एक निर्णय से उद्भूत अपील नहीं है अपितु जिस तरीके से निर्णय लिया गया उसका पुनर्विलोकन है"। दूसरे शब्दों में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, यह सुनिश्चित करने के लिए है कि "संबंधित व्यक्ति को उचित न्याय मिले, न कि प्राधिकारी द्वारा जो विधि द्वारा स्वयं निर्णय लेने के लिए प्राधिकृत है, उचित न्याय प्रदान करते हुए किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है, उसे न्यायालय की दृष्टि से यही सुनिश्चित करने के लिए." यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि भारतीय संघ बनाम तुलसी राम पटेल (ए. आई. आर. 1985 एस. सी. 1416) के मामले में कुछ ऐसी टिप्पणियां हैं जिनमें पहली नजर में यह कहा प्रतीत होता है कि न्यायालय वहां पर हस्तक्षेप कर सकता है जहां अधिरोपित किया गया दण्ड मनमाना है या अत्याधिक है या किए गए अपराध के अनुपात से कहीं अधिक है या मामले के तथ्यों तथा हालातों के अनुरूप नहीं है या उस विशेष सरकारी सेवा की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है।" फिर भी यह अवश्य याद रखा जाए कि तुलसी राम पटेल मामला संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के परन्तुक (क) के अंतर्गत आने वाले मामलों से ही संबंधित है। तुलसीराम पटेल मामले से चलापन (ए. आई. आर. 1975 एस. सी. 2216) मामले में इस न्यायालय के पहले का निर्णय पलट गया है। यह निर्णय देते हुए कि उपर्युक्त परन्तुक के निपटाये गए मामलों में दण्ड अधिरोपित करने के पूर्व कोई नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है। न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि यदि अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अनुपातीय या कड़ा दण्ड दिया जाता है तो इसे या तो अपीलीय न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा ठीक किया जा सकता है। ये टिप्पणियां नियमित जांच के बाद अधिरोपित किए गये दण्ड के मामलों में प्रासंगिक नहीं हैं।

3. अतः अनुरोध है कि उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्णय को सभी संबंधितों के ध्यान में लायें ताकि इसे समुचित रूप से उन सभी मामलों में संदर्भित किया जा सकें, जहां विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से या अन्यथा दण्ड की मात्रा का प्रश्न, प्रशासनिक अधिकरण या उच्चतम न्यायालय के समक्ष आता है।

हस्ता/-
(एस. सी पण्ड्या)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

पृष्ठांकन क्रमांक सी/6-4-94/3/1

भोपाल, दिनांक 3 अक्टूबर 1994

प्रतिलिपिः—

1. निबंधक, उच्च न्यायालय, म. प्र., जबलपुर,
   सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल,
   सचिव, लोक सेवा आयोग, म. प्र., इन्दौर,
   सचिव, कनिष्ठ सेवा चयन बोर्ड, म. प्र., भोपाल।

---

2. राज्यपाल के सचिव, म. प्र., राजभवन, भोपाल,
   सचिव, विधान सभा सचिवालय, म. प्र., भोपाल।

---

3. मुख्य मंत्री जी/समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक,
4. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मंडल, म. प्र., भोपाल,
5. रजिस्ट्रार, म. प्र. राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण जबलपुर/भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर,
6. महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, मध्यप्रदेश, जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर,
7. प्रमुख सचिव/सचिव/उपसचिव, सामान्य प्रशासन विभाग,
8. अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख शाखा/मुख्य लेखाधिकारी, राज्य मंत्रालय, भोपाल,
9. आयुक्त, जनसम्पर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल,

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

हस्ता/-
(यू. एस. बिसेन)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.